



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170890

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 4381 वर्ष 2014

राजेश कुमार गुप्ता

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्त : अशोक खरे, सिद्धार्थ खरे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : आलोक कुमार श्रीवास्तव, सी.एस.सी., आर.के. श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव की ओर से पैरवी करते हुए विद्वान अधिवक्ता सुश्री जागृति निगम को सुना गया तथा बोर्ड पर उपलब्ध पत्रावली का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दाखिल की गई है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(a) उपयुक्त प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि प्रबंध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा जारी दिनांक 27.12.2012 के आदेश के अंतर्गत याची की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप उसे देय लाभों को इस प्रकार पुनरीक्षित किया जाए कि दिनांक 01.01.1988 से याची की संपूर्ण सेवा-अवधि को स्थायी प्रकृति की सेवा मानते हुए तथा जुलाई, 2012 में प्रभावी किए गए महंगाई भत्ते के बढ़े हुए प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए और दिनांक 29.12.2012 के स्थान पर दिनांक 31.12.2012 तक की सेवा-अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर उक्त लाभ प्रदान किए जाएँ।

(b) उपयुक्त प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि प्रार्थना संख्या (a) के अनुसार किए गए पुनरीक्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले समस्त बकाया का तत्काल अनुमोदन करते हुए, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर, उस पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली दंडात्मक दर से ब्याज सहित भुगतान किया जाए।"

3. याची ने पेंशन की गलत गणना किए जाने तथा दिनांक 19.07.2012 से दिनांक 31.12.2012 तक महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान न किए जाने के संबंध में शिकायत उठाई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. यह प्रस्तुत किया गया है कि याची को प्रारंभतः दिनांक 01.01.1988 को लैब असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, दिनांक 03.02.1997 के आदेश द्वारा उसे मैनुफैक्चरिंग केमिस्ट के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त किया गया। इसके बाद, प्रबंध निदेशक, यू.पी. स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 20.07.2006 को एक आदेश पारित करते हुए याची को 2200 से 4000 के वेतनमान में पूर्ण वेतन प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात, दिनांक 24.04.2008 के आदेश द्वारा याची को 2200 से 4000 के वेतनमान में दिनांक 01.07.1999 से, काल्पनिक प्रभाव से, एक वेतनवृद्धि प्रदान की गई। दिनांक 04.11.2011 के कार्यालय आदेश के अनुसरण में, याची ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना और तदनुसार, दिनांक 27.11.2012 के आदेश द्वारा उसे दिनांक 29.12.2012 से सेवा से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश दिया गया। याची ने यह विशिष्ट मामला प्रस्तुत किया कि वस्तुतः उसे दिनांक 31.12.2012 को सेवा से कार्यमुक्त किया गया था। याची इस आधार पर उसे प्रदान किए गए पेंशनरी लाभों से व्यथित है कि उसकी सेवा को दो भागों में विभाजित मानते हुए गणना की गई है, अर्थात् दिनांक 01.01.1988 से दिनांक 30.06.1999 तक तथा दिनांक 01.07.1999 से उसकी दिनांक 29.12.2012 की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक। यह प्रस्तुत किया गया है कि याची द्वारा की गई संपूर्ण सेवा-अवधि को दो भागों में, अर्थात् दिनांक 01.01.1988 से दिनांक 30.06.1999 तक तथा दिनांक 01.07.1999 से दिनांक 29.12.2012 तक, विभाजित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याची को देय महंगाई भत्ते की गणना दिनांक 31.12.2012 तक की जानी चाहिए, जिस तिथि को वह सेवा से कार्यमुक्त किए जाने का दावा करता है। अपने तर्क के समर्थन में, याची के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विद्वान अधिवक्ता ने डॉ. अमरेन्द्र नारायण श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2012(8) एडीजे 376 (डीबी) के मामले पर भरोसा किया है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि समान प्रकृति के मामले में, समान रूप से स्थित कर्मचारी, अर्थात् कौशल कुमार शर्मा, को उसकी नियुक्ति की तिथि से लेकर उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक की संपूर्ण सेवा-अवधि का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याची की दिनांक 01.07.1999 से सेवा की नए सिरे से गणना किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि दिनांक 01.01.1988 से दिनांक 30.06.1999 तक उसके द्वारा की गई पूर्ववर्ती सेवा की उपेक्षा की गई है। याची ने रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 25 में कुछ अन्य कर्मचारियों के नामों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें, उसके अनुसार, उनकी नियुक्ति की तिथि से लेकर उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक की संपूर्ण सेवा-अवधि का लाभ प्रदान किया गया है। याची के दावे के अनुसार, वह वी.आर.एस. के पश्चात ₹32,819/- की राशि का हकदार है; तथापि, उक्त राशि के विरुद्ध उसे केवल ₹24,69,068 का भुगतान किया गया। शेष ₹7,57,751/- की राशि अभी भी देय एवं भुगतान योग्य है।
6. प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सकी हैं कि याची की सेवा को दो भागों में क्यों विभाजित किया गया है और उसकी पश्चातवर्ती सेवा को दिनांक 01.07.1999 से नए सिरे से प्रारंभ होने वाली सेवा क्यों माना गया है। वह इस बात का भी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकी हैं कि याची की नियुक्ति की तिथि से लेकर उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक की पेंशन योग्य सेवा की गणना किए जाने के उसके दावे को क्यों स्वीकार नहीं किया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गया है, विशेष रूप से तब, जबकि याची के अनुसार, समान रूप से स्थित कर्मचारी, अर्थात् कौशल कुमार शर्मा, को उसकी संपूर्ण सेवा का लाभ प्रदान किया गया है और उसके मामले में राज्य सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रखा गया है।

7. विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किए जाने के उपरांत, प्रत्यर्चीगण की विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची की दिनांक 01.01.1988 से दिनांक 30.06.1999 तक की पूर्ववर्ती सेवा की गणना किए जाने तथा उसे उसकी कार्यमुक्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 31.12.2012 तक महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किए जाने से संबंधित वर्तमान याची की शिकायत का अधिक उपयुक्त रूप से निवारण सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रबंध निदेशक (प्रत्यर्ची संख्या 3) द्वारा किया जा सकता है, और यदि इस न्यायालय द्वारा याची को इस न्यायालय द्वारा निर्देशित की जाने वाली निर्धारित अवधि के भीतर नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने तथा सक्षम प्राधिकारी को उसका शीघ्रता से निस्तारण करने हेतु निर्देश जारी किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
8. उपर्युक्त समग्र परिस्थितियों में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अतः यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है, याची के दावे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उसे यह स्वतंत्रता प्रदान करते हुए कि वह वर्तमान रिट याचिका में उठाई गई अपनी शिकायत का उल्लेख करते हुए, आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति तथा वर्तमान रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ, प्रबंध निदेशक (प्रत्यर्ची संख्या 3) के समक्ष नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात, प्रत्यर्ची संख्या 3 स्वयं अथवा सक्षम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्राधिकारी के माध्यम से, उक्त प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए विधि के अनुसार शीघ्रता से निर्णय लें, अधिमानतः ऐसे प्रत्यावेदन के प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **तीन माह** की अवधि के भीतर।

9. उपर्युक्त निर्देशों एवं टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

13 अगस्त, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”